न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

पंचायत निगरानी संख्याः 78/2023

RCMS No.–2018/000139

मांगीलाल पुत्र गंगाराम जाति मीणा निवासी ग्राम सिरोली तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
...निगरानीकर्ता

बनाम

1. कल्याण सहाय पुत्र श्री शंकर लाल जाति मीणा, निवासी ग्राम सिरोली तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. ग्राम पंचायत दांतली जरिये सरपंच, पंचायत समिति सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

...विपक्षीगण

निगरानी विरूद्व आज्ञा सरपंच ग्राम पंचायत दांतली दिनांक (पंचायत के अन्तिम निर्णय फैसला पर दिनांक अंकित नहीं है) पत्रावली संख्या 94/2003 जिसके द्वारा विपक्षी कल्याण सहाय के पक्ष में पट्टा जारी करने की आज्ञा दी गई।

उपस्थितः–

1. श्री अरूण कुमार गोयल निगरानीकार की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 15.10.2024

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत दांतली, पं.स. सांगानेर द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 कल्याण सहाय पुत्र शंकर लाल मीणा, जाति मीणा, निवासी ग्राम सिरोली, तहसील सांगानेर के पक्ष में मिसल संख्या 94/2003 दायर दिनांक 23.03.2004 जिसके तहत आदेश दिनांक 07.12.2004 द्वारा पट्टा संख्या 92 जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 26.08.2008 को न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर में प्रस्तुत की है। निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जयपुर के आदेश दिनांक 30.03.2017 की अनुपालना में पत्रावली न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर द्वितीय से स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुई। विपक्षी संख्या एक की ओर से बावजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं आया। गैर निगरानीकार संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आये। अधीनस्थ ग्राम पंचायत दांतली से प्राप्त जवाब अनुसार मूल पट्टा पत्रावली भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में भिजवायी गयी है। निगरानीधीन मूल पट्टा पत्रावली न्यायालय में अप्राप्त है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। बहस उपस्थित अभिभाषकगण सुनी गई।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

विद्वान अभिभाषक निगरानीकार ने दौराने बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत दांतली ने गैर निगरानीकार संख्या 1 से मिलीभगत कर वास्तविक तथ्यो को दरकिनार करते हुए पंचायती राज प्रावधानो के विपरीत जाकर नियम विरूद्ध निगरानीधीन पट्टा संख्या 92 जारी किया है। ग्राम पंचायत द्वारा मिसल नंबर 94/2003 में नियम 145–146 एवं नियम 148 की समस्त कार्यवाही एक ही दिनांक 23.03.2004 को होना जाहिर किया है जो कतई सम्भव नहीं है। दिनांक 23.03.2004 में ही कथित आवेदन विपक्षी

संख्या 1 ने किया और इसी दिनांक को नक्शा शामिल मिसल करने तीन पंच मनभर, शंकर और नानगराम को मौका निरीक्षण हेतु रिपोर्ट करने का निर्णय एवं मनोनीत पंचो द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट पेश कर देना और इसी दिनांक को नियम 148 के तहत पट्टा जारी करने का स्थायी निर्णय लिया जाना आदेशिका से जाहिर होता है। एक ही दिनांक को चार आदेशिका अंकित होने से स्पष्ट है कि निगरानीधीन पट्टा देने की कार्यवाही संदिग्ध है। मौका निरीक्षण हेतु गठित कमेटी में सदस्य मनभर देवी गैर निगरानीकार संख्या 1 की मां है। प्रकरण में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 146 के तहत ग्राम पंचायत के समक्ष पट्टा प्राप्त करने के आवेदन पत्र के साथ नक्शा पेश नही किया गया है। दिनांक 23.03.2004 की प्रथम आदेशिका में आवेदक कल्याण सहाय पुत्र शंकर लाल जाति शर्मा निवासी सिरोली अंकित किया गया है और गैर निगरानीकार संख्या 1 कल्याण सहाय मीणा जाति का है इससे जाहिर है कि ग्राम पंचायत द्वारा जल्दबाजी में कल्याण सहाय को अनुचित लाभ पहुंचाने की दृष्टि से पट्टा जारी करने में नियम विरूद्व कार्यवाही की है। आपत्ति नोटिस में गैर निगरानकार संख्या 1 द्वारा चाही गई भूमि की सीमाए गलत दर्ज है एवं उत्तर में निगरानीकर्ता के स्वामित्व एवं कब्जे की बाडा भूमि को गैर निगरानीकार संख्या 1 ने स्वयं की होना बताया है जो पूर्णतया गलत है। नियमानुसार आपत्ति नोटिस भी वादग्रस्त भूमि पर नहीं लाया गया एवं ना ही उस पर गवाहो की निशानी है एवं किन गवाहो के सामने आपत्ति नोटिस विवादित भूमि पर चस्पा किया गया, इसका कोई उल्लेख नहीं है। ग्राम पंचायत दांतली ने बिना वस्तु स्थिति की जांच किये बिना मौका निरीक्षण किये पंचायती राज नियमो की अवहेलना कर गैर निगरानीकार संख्या 1 के पट्टा संख्या 92 जारी किया है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत दांतली पं.स. सांगानेर के मिसल संख्या 94/2003 दायर दिनांक 23.03.2004 आदेश दिनांक 07.12.2004 द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में जारी किया गया पट्टा निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक निगरानीकार की बहस सुनी गई। पत्रावली का तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। ग्राम पंचायत दांतली से मूल पट्टा पत्रावली अप्राप्त होने की स्थिति की हम पत्रावली का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर करना उचित समझते है। पत्रावली में प्रस्तुत मिसल पट्टा की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से जाहिर है, कि ग्राम पंचायत दांतली पं.स. सांगानेर द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 के पक्ष में मिसल संख्या 94/2003 दायर दिनांक 23.03.2004 जिसके तहत आदेश दिनांक 07.12.2004 द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में निगरानीधीन पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत दांतली द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में निगरानीधीन पट्टा जारी किये जाने के लिए दिनांक 23.03.2004 को मिसल संख्या 94/2003 दायर की गई। दिनांक 23.03.2004 को एक दिवस में निगरानीधीन पट्टे की भूमि का मौका निरीक्षण हेतु कमेटी गठित की

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

गयी एवं मौका निरीक्षण रिपोर्ट भी उसी दिन ग्राम पंचायत में पेश की गयी जो न्यायोचित नहीं है। राजस्थान पंचायती राज नियम 167(2) अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे पर सरपंच एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर होने चाहिए परन्तु निगरानीधीन पट्टे पर सचिव ग्राम पंचायत दांतली के हस्ताक्षर नहीं है। निगरानीधीन पट्टा पत्रावली एक ही दिवस में समस्त कार्यवाही किये जाने से ये जाहिर होता है कि उक्त पट्टा पत्रावली का संधारण सरपंच ग्राम पंचायत दांतली द्वारा अपने स्तर पर ही किया जाकर निगरानीधीन पट्टा जारी किया गया है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीधीन पट्टा जारी करने से पूर्व पंचायती राज अधिनियम 1994 व पंचायती राज नियमो 1996 की अवहेलना कर निर्धारित प्रकिया अनुसार पट्टा नहीं दिया जाना जाहिर होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत दांतली, पंचायत समिति सांगानेर द्वारा मिसल सं. 94/2003 दायर दिनांक 23.03.2004 से गैर निगरानीकार संख्या 1 कल्याण सहाय पुत्र शंकर लाल मीणा, जाति मीणा, निवासी ग्राम सिरोली, तहसील सांगानेर के हक में आदेश दिनांक 07.12.2004 द्वारा जारी पट्टा संख्या 92 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ ग्राम पंचायत दांतली को प्रतिप्रेषित **(REMAND)** किया जाता है कि विवादित भूमि का मौका निरीक्षण कर राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 में निहित प्रावधानो की पालना करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रमाणित प्रति पालनार्थ अधीनस्थ ग्राम पंचायत दांतली पंचायत समिति सांगानेर को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.10.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

15/10

(विनिता सिंह)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर